न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प– धुरासनी
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 81/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. घेवरसिंह पुत्र बालु सिंह जाति राजपुरोहित निवासी धुरासनी, तहसील सोजत, जिला पाली।	1.	सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः–

1. **श्री अजयपाल चारण एवं कमलेश्वर लखावत अधिवक्तागण वादी उपस्थित।**
2. **तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।**

–: निर्णय :– **दिनांक 02.11.2021**

अधिवक्ता गय वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम धुरासनी तहसील सोजत जिला पाली में खाता संख्या 296 के खसरा नंबर 56 रकबा 1.0000 हैक्टर, खसरा नंबर 442 रकबा 0.9200 हैक्टर, खसरा नंबर 443 रकबा 0.8900 हैक्टर, खसरा नंबर 934 रकबा 1.3500 हैक्टर, खसरा नंबर 936 रकबा 0.8400 हैक्टर, खसरा नंबर 937 रकबा 0.9200 हैक्टर, कुल खसरा 06 कुल रकबा 5.9200 हैक्टर, तथा खाता संख्या 294 के खसरा नंबर 659 रकबा 0.8500 हैक्टर कुल खसरा 01 रकबा 0.8500 हैक्टर स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादी की पैतृक सम्पति है तथा वादी से पूर्व वादी के पिता खातेदार थे। वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात वादी अपने भाईयों सहित उक्त कृषि भूमि का मालिक खातेदार होकर काबिज काश्त हुआ। वादी के पिता की मृत्यु के बाद जब वादी का फौतेदगी म्युटेशन भरा गया तो तत्कालीन पटवारी ने मालमसिंह, गोपालसिंह, नारायणसिंह, बलवन्तसिंह, धनसिंह, रतनसिंह पीसरान बालुसिंह नाम से क्रमशः दिनांक 19.05.1981 तथा 24.01.1983 को उक्त खसराजात की भूमि मे फौतेदगी म्यूटेशन भरे गये। परन्तु तत्कालीन पटवारी ने सहवन से वादी का नाम घेवरसिंह की जगह रतनसिंह दर्ज कर दिया। उस समय वादी की उम्र करीब 8–9 वर्ष की थी। जबकि वादी का वास्तविक व रेकर्डेड नाम घेवरसिंह ही है तथा वादी बचपन में दोनो नामो से जाना पहचाना जाता था। वादी का शैक्षणिक दस्तावेजी नाम घेवरसिंह ही है तथा वादी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार कार्ड मतदाता पहचान पत्र आदि सभी में घेवरसिंह ही चला आ रहा है। वादी के बैंक खाते में नाम भी घेवरसिंह पुत्र बालुसिंह चला आ रहा है। लेकिन पटवारी ने गलत व सहवन से राजस्व रेकर्ड में घेवरसिंह के बजाय रतनसिंह दर्ज कर दिया गया। राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम रतनसिंह दर्ज कर दिया गया। राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम रतनसिंह दर्ज होने तथा वादी के अन्य सभी दस्तावेज में नाम घेवरसिंह दर्ज होने के कारण वादी को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है तथा वादी उक्त कृषि भूमि पर मिलने वाली सभी सुविधाओं से अकारणीय वंचित हो रहा है। जिससे उसके राजस्व अधिकारो का हनन हो रहा है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम रतनसिंह की जगह घेवरसिंह दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक तथा न्यायोचित है। वादी को बचपन में दोनो नामों से जाना व पहचाना जाता था। इसलिए सहवन से तत्कालीन पटवारी ने राजस्व रेकर्ड में नाम रतनसिंह दर्ज कर दिया, जिसे शुद्धि किया जाकर दुरस्त किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह नाम परिवर्तन का वाद पेश किया है। जब उक्त फौतेदगी म्युटेशन भरे गये तब वादी की उम्र मात्र 8–9 वर्ष की ही थी तथा वह म्युटेशन आदि की प्रक्रियाओं से अनजान व नासमझ बालक था। वादी आज भी अपनी उक्त

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

कृषि भूमि के अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा अपने हिस्से का शाति पूर्वक बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम घेवरसिंह ही है, जो राजस्व रेकर्ड मे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। स्व. बालुसिंह के वादी सहित 6 पुत्र ही है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज रतनसिंह वादी घेवरसिंह ही है। गांव धुरासनी में घेवरसिंह पुत्र बालुसिंह एवं रतनसिंह पुत्र बालुसिंह के नाम के दो व्यक्ति नही है। घेवरसिंह एव रतनसिंह दोनो एक ही व्यक्ति है। गाव धुरासनी मे रतनसिंह पुत्र बालुसिंह नाम का अन्य कोई व्यक्ति हुआ ही नही है तथा वादी का रेकर्डेड, शैक्षणिक व अन्य पहचान दस्तावेज में नाम घेवरसिंह दर्ज है। मात्र उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे ही रतनसिंह दर्ज है, जो गलत है। उक्त नाम को दुरस्त कर रतनसिंह की जगह घेवरसिंह दर्ज किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। बिनायदावा दिनांक 09.04.2018 को वादी के द्वारा पटवारी हल्का से नकले लेने एवं पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रेकर्ड में नाम रतनसिंह दर्ज होना बताने पर तथा फौतेदगी म्युटेशन की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने पर नाम गलत दर्ज होने की जानकारी होने से तथा घोषणा का दावा होने के कारण पैदा हुआ, जो अंदर म्याद पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर कि सरहद मौजा धुरासनी के खसरा संख्या 56, 442, 443, 934, 936, 937 तथा 659 मे वादी का गलत रूप से दर्ज नाम रतनसिंह पुत्र बालुसिंह के स्थान पर घेवरसिंह पुत्र बालुसिंह के नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रतनसिंह पुत्र बालुसिंह के स्थान पर घेवरसिंह पुत्र बालुसिंह दुरस्त रूप से दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी सरकार की ओर से तहसीलदार, सोजत ने ज0दा0 दिनांक 14.08.2019 को पेश कर वादस्थ कृषि भूमि मौजा धुरासनी मे स्थित होना स्वीकार किया है। वाद पत्र में अन्य वर्णित तथ्यो को वादी द्वारा स्वयं द्वारा सिद्ध किये जाने तथा कानूनी होना अंकित किया है। प्रस्तुत ज0दा0 की प्रति अधिवक्ता वादी को दिलाई गई, सामिल मिसल किया गया। दिनांक 02.11.2021 को मौखिक आदेशानुसार तहसीलदार, सोजत ने वांछित मौका जांच रिपोर्ट मय सरपंच ग्रा0 प0 धुरासनी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 02.11.2021 को पेश कर अंकित किया है कि ग्राम धुरासनी के वर्तमान खसरा नंबर 56, 442, 443, 934, 936, 937 व 659 की कृषि भूमिया वादी व इनके भाईयो के संयुक्त खातेदारी दर्ज है मजमेआम मौके पर उपस्थित ग्राम वासियो ने बताया कि रतनसिंह पुत्र बालूसिंह व घेवरसिंह पुत्र बालूसिंह दोनो एक ही व्यक्ति है इनके नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। बचपन मे वादी को रतनसिंह के नाम से जाना व पहचाना जाता था लेकिन वर्तमान मे वादी के समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, पहचान पत्र आदि में वादी का नाम घेवरसिंह पुत्र बालूसिंह दर्ज है। जिसको वादी राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम दुरस्त करवाता है तो इनके परिजन व ग्राम वासियो को कोई आपति नही है। मौके पर उपस्थित मौतबिरान की जांच पडताल अनुसार वादी के नाम संशोधन की अनुशंसा भी की है।

पत्रावली आज दिनांक 02.11.2021 प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प धुरासनी में पेश हुई। अधिवक्ता वादी एव प्रतिवादी आज उपस्थित आए। उपस्थित उभय पक्षकारान को आज वाद पत्र मे वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में सुना गया। अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं म्यूटेशन दिनांक 10.05.81, म्यूटेशन वादस्थ आराजी 24.01.83, जमाबंदी सम्वत् 2071–74, जमाबंदी सम्वत् 2071–74 आठवीं की टी0सी0 की छायाप्रति, 10वी की मार्कशीट, वादी के आधारकार्ड, पेनकार्ड मतदाता पहचान पत्र वादी के बैंक खाता की छायाप्रति वादी के ड्राईविंग लाइसेंस की छायाप्रति क्रमशः प्रदर्श 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तथा शहदतवादीगण दिनांक 23.03.2021 को प्रस्तुत सहखातेदारान पीडब्ल्यु–1 घेवरसिंह, पीडब्ल्यु–4 बलवंतसिंह, पीडब्ल्यु 3 नारायणसिंह, पीडब्ल्यु–2 गोपालसिंह के तस्दीकसुदा शपथ–पत्र मुख्य परीक्षण पर कलमबद्ध बयानात तथा प्रदर्श 01 से 11 अनुसार वाद पत्र दस्तावेजात से साबित

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

होता है जिससे डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी किये जाने की कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार रतनसिंह पुत्र बालुसिंह के स्थान पर घेवरसिंह पुत्र बालुसिंह के नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रतनसिंह पुत्र बालुसिंह के स्थान पर घेवरसिंह पुत्र बालुसिंह के नाम से दर्ज करने की घोषणा की जाकर इन्द्राज किये जाने अर्थात् अधिवक्ता मय वादी ने माफिक दावा वाद स्वीकार किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर बहस के दौरान प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत ने स्वीकारोक्ति व्यक्त की है। लिहाजा प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्य सबूत के प्रस्तुत दस्तावेजात के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना तथा वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार रतनसिंह पुत्र बालुसिंह के स्थान पर घेवरसिंह पुत्र बालुसिंह के नाम से खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रतनसिंह पुत्र बालुसिंह के स्थान पर घेवरसिंह पुत्र बालुसिंह के नाम से दुरूस्त दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। मौजा धुरासनी के वर्तमान खसरा नंबर 56, 442, 443, 934, 936, 937 कुल किता 06 रकबा 5.9200 है0 एवं ख0न0 659 रकबा 0.8500 है0 की कृषि भूमियां वादी व इनके भाईयो के संयुक्त खातेदारी दर्ज है के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के सदभाविक/मानवीय चूँक/भूलवश गलत रूप से दर्ज वादी का नाम बतौर खातेदार रतनसिंह पुत्र बालुसिंह के स्थान पर घेवरसिंह पुत्र बालुसिंह के नाम से खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में रतनसिंह पुत्र बालुसिंह के स्थान पर घेवरसिंह पुत्र बालुसिंह दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 02.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

(ओ20 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
घेवरसिंह पुत्र श्री बालु सिंह जी जाति राजपुरोहित निवासी धुरासनी, तहसील सोजत, जिला पाली।	1.	सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 81/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री अजयपाल चारण एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि मौजा धुरासनी के वर्तमान खसरा नंबर 56, 442, 443, 934, 936, 937 कुल किता 06 रकबा 5.9200 है0 एवं ख0न0 659 रकबा 0.8500 है0 की कृषि भूमियां वादी व इनके भाईयो के संयुक्त खातेदारी दर्ज है के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के सदभाविक/मानवीय चूँक/भूलवश गलत रूप से दर्ज वादी का नाम बतौर खातेदार रतनसिंह पुत्र बालुसिंह के स्थान पर घेवरसिंह पुत्र बालुसिंह के नाम से खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में रतनसिंह पुत्र बालुसिंह के स्थान पर घेवरसिंह पुत्र बालुसिंह दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को इस आदेश की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 02.11.2021 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

सोजत (पाली)

मददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.